न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 46 / 16 पीठासीन अधिकारी

दिनांक रजु :– 02 / 03 / 16 श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर (आर.ए.एस.)

दीपक कुमार पुत्र स्व. उमेश कुमार जाति ब्रह्मण (हरियाणा) निवासी डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादी)

बनाम.

1. कैलाश प्रसाद पुत्र श्री प्रभूनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम गांगल्यावास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

दावा अधिघोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय दिनांक : 31–1–20

उपस्थित :– श्री राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट – वादी की ओर से

श्री हरिनारायण माठा एडवोकेट – प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

पैरोकार सरकार – प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 2564 रकबा 15 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है। उक्त कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई सम्बन्ध नही है उक्त भूमि पर वादी का मौके पर वास्तविक कब्जा है वादग्रस्त आराजी पर वादी के पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिस पर वादी बुजुर्गान के जमाने से कब्जा काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा है वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड संख्या 2003 लगायत 2022 की खतौनी बन्दोबस्त में वादी के

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

पुर्वज धन्ना लाल पुत्र अमरचन्द के नाम का इन्द्राज बतौर मुर्तहीन अंकन था जिस पर वादी के पुर्वज अपने जीवन पर्यन्त मालिक होकर काश्त करते चले आ रहे थे वादी के पुर्वज के जीवनकाल से ही वादी का बाबा रामस्वरूप अपने जीवन पर्यन्त काश्त करता रहा एवं वादी के बाबा रामस्वरूप के जीवनकाल से ही वादी का पिता उमेश कुमार उक्त भूमि पर काश्त करता रहा वह अब वर्तमान मे वादी अपने पिता उमेश कुमार के जीवनकाल से काश्त करता चला आ रहा है एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2003 लगायत 2022 मे गणपत वल्द श्योबक्स महाजन के नाम का बतौर राहीन इन्द्राज था गणपत लाल का स्वर्गवास हो गया प्रतिवादी संख्या 1 अपने आप को गणपत लाल के उत्तराधिकारी कन्हैयालाल का उत्तराधिकारी बतलाता है। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम डिडवाना का भी रहने वाला नही है एवं ग्राम डिडवाना में भी नही रहता है जिसका वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नही है एवं गणपत लाल, कन्हैयालाल व कैलाश प्रसाद का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नही है। वादग्रस्त आराजी भूमि पर वादी का अपने पुर्वज धन्ना के समय से सैकड़ो वर्षो से कब्जा चला आ रहा है कानूनन अगर किसी व्यक्ति का कब्जा 12 वर्ष से अधिक का हो तो उसे उक्त भूमि से वेदखल नही कर सकते है तथा कब्जा 12 वर्ष मे नही हो तो उसके अधिकारी धारा 63(4) में समाप्त हो जाते है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त मे वादी के पूर्वज धन्ना लाल पुत्र अमर चन्द का बतौर मुर्तहीन इन्द्राज है प्रतिवादी संख्या 1 को अब कोई रहन से बागुजास्त करवाने का अधिकार प्राप्त नही है कानूनन वादी का उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है प्रतिवादी नं0 1 ईल्म मे होते हुये वादी एवं वादी के पुर्वजो का कब्जा 12 वर्ष से अधिक का बतौर एडवर्स पजेशन के है। वादी कानूनन अधिकारी है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 2564 रकबा 15 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना का काबिज खातेदार काश्तकार है वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी नं0 1 व उसके पुर्वजो के नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अब इन इश्यू वाईड व शुन्य गलत इन्द्राज हो रहा है जिसे विलोपित किया जाकर राजस्व अभिलेख में वादी का नाम बतौर खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादी नं0 1 स्वयं अपने परिजनो व अन्य व्यक्तियो द्वारा कोई दखल नही देने व वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को रहन विक्रय व अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नही करें।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

पत्रावली पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई जिस पर प्रतिवदी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 2 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र को डिकी किये जाने का निवेदन किया गया जो शामिल मिसल किया गया। वादग्रस्त आराजी की वास्तविक स्थिति की जांच रिपोर्ट बाबत तहसीलदार लालसोट को लिखा जाने पर तहसीलदार लालसोट की ओर से कमांक संख्या भू–अभि0 /19/209 दिनांक 25/01/2019 तहसीलदार व हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं वादी व गवाहान पप्पूलाल शर्मा पुत्र रामजीलाल ब्रह्मण, रामगोपाल पुत्र रामसहाय ब्रह्मण, राकेश पुत्र रामगोपाल ब्रह्मण, कान्ता प्रसाद पुत्र बृजमोहन कोली समस्त निवासी डिडवाना के शपथ पत्र प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श– 1 जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071, प्रदर्श– 2 खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 – 2011, प्रदर्श– 3 खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 लगायत 2017, प्रदर्श– 4 खसरा गिरदावरी सम्वत 2012, प्रदर्श– 5 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018 से 2021 अंकित किये गये वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा हो जाने पर राजीनामा प्रस्तुत किया गया उक्त राजीनामे में वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 2564 रकबा 15 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना पर वादी व वादी के पुर्वजो का कई वर्षो पुर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उस पर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी का वादी के पक्ष में उद्घोषणा करने व राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पूर्वजो का बोगस इन्द्राज खातेदारी को निरस्त कर वादी के नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया बाद जांच राजीनामा उभयपक्षो व उनके अधिवक्ताओ के द्वारा अटेस्टेड होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। जिसमे वादी के वादपत्र को मुताबिक वादपत्र अनुतोष व राजीनामा अनुसार वादपत्र डिकी किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया एवं तहसीलदार लालसोट से वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित मौका रिपोर्ट व राजीनामा के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 2564 रकबा 15 बिस्वा वाकै ग्रम डिडवाना तहसील

उपखण्ड अधिकारी

लालसोट पर वादी व वादी के पुर्वजो का कई वर्षो से आधिपत्य व कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं राजस्व अभिलेख सम्वत् 2003 लगायत 2022 की खतौनी बन्दोबस्त में वादी के पूर्वज धन्ना लाल पुत्र अमरचन्द के नाम का इन्द्राज बतौर मुर्तहीन अंकित था एवं तहसीलदार लालसोट की जांच रिपोर्ट मे भी अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड डिडवाना के अनुसार खसरा नं0 2564 रकबा 15 बिस्वा भूमि गणपत पुत्र श्योबक्स कौम महाजन खातेदार राहिन धन्ना लाल पुत्र अमरचन्द कौम ब्राह्मण साकिन देह मुर्तहिन दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पर रामस्वरूप पुत्र रामनिवास की मृत्यु पश्चात् उसके पुत्र उमेश का कब्जा होना व उमेश की मृत्यु पश्चात् पिढी दर पिढी वादी दीपक का कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पूर्वजो का कभी कब्जा नही रहा कब्जा नही होने की पृष्ठि की है एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है जिसमे भी वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदारी उद्घोषित करवाने व राजस्व अभिलेख में बोगस इन्द्राजात खातेदारी गणपत पुत्र श्योबक्स महाजन का इन्द्राजात विलोपित कर वादी के नाम इन्द्राज दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा है। इसलिए हमारी राय मे वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 2564 रकबा 15 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना हसील लालसोट का वादी को मुताबिक राजीनामा उद्घोषित कर खातेदारी ाबिज काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व भिलेख मे प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज गणपत लाल पुत्र श्योबक्स कौम महाजन ा नाम विलोपित कर उसके स्थान पर वादी का नाम दुरूस्त किये जाने हेतू हसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है तथा नियमानुसार रजिस्ट्रेशन शुल्क ना की जावें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31-1-20को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद ...)
लालसोट जिला दौसा (राज.
उपखण्ड अधिकारी लालसोट

लालसोट पर वादी व वादी के पुर्वजो का कई वर्षो से आधिपत्य व कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं राजस्व अभिलेख सम्वत् 2003 लगायत 2022 की खतौनी बन्दोबस्त में वादी के पूर्वज धन्ना लाल पुत्र अमरचन्द के नाम का इन्द्राज बतौर मुर्तहीन अंकित था एवं तहसीलदार लालसोट की जांच रिपोर्ट मे भी अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड डिडवाना के अनुसार खसरा नं0 2564 रकबा 15 बिस्वा भूमि गणपत पुत्र श्योबक्स कौम महाजन खातेदार राहिन धन्ना लाल पुत्र अमरचन्द कौम ब्राह्मण साकिन देह मुर्तहिन दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पर रामस्वरूप पुत्र रामनिवास की मृत्यु पश्चात् उसके पुत्र उमेश का कब्जा होना व उमेश की मृत्यु पश्चात् पिढी दर पिढी वादी दीपक का कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पूर्वजो का कभी कब्जा नही रहा कब्जा नही होने की पृष्ठि की है एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है जिसमे भी वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदारी उद्घोषित करवाने व राजस्व अभिलेख में बोगस इन्द्राजात खातेदारी गणपत पुत्र श्योबक्स महाजन का इन्द्राजात विलोपित कर वादी के नाम इन्द्राज दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा है। इसलिए हमारी राय मे वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 2564 रकबा 15 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट का वादी को मुताबिक राजीनामा उद्घोषित कर खातेदारी काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज गणपत लाल पुत्र श्योबक्स कौम महाजन का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर वादी का नाम दुरूस्त किये जाने हेतू तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है तथा नियमानुसार रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा की जावें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31-1-20को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गुर्जर)
लालसोट जिला दौसा (राज.)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट